बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 228407 पटना, दिनांक- 16/4/15

ग्रा0वि0-5/आधार (बैठक)-14-01/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय : आधार पंजीकरण के संबंध में दिशा निर्देश

महाशय, महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि कार्रवाई के बावजूद क्षेत्र में आधार ऑपरेटरों द्वारा कहीं-कहीं अवैध वसूली की जा रही है । कई बार यह देखने में आया है कि इसमें कुछ स्थानीय लोगों की भी मिलीभगत रहती है । इस परिस्थिति में जहॉ कहीं भी ऐसी शिकायत प्राप्त हो तो उस ऑपरेटर के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय तथा जिस भी एजेंसी का ऑपरेटर हो, उसे भी चेतावनी दी जाय तथा bihar.uidai@gmail.com पर ई-मेल द्वारा शिकायत दर्ज भी कराई जाय ताकि उसके विरूद्ध इस स्तर से भी कार्रवाई की जा सके ।

2. पूर्व में निदेशित किया गया है कि जिलों में आधार कार्य की समीक्षा की जाय। कुछ जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि जिलों में समीक्षात्मक बैठक में संबंधित ऐजेंसी के Coordinator भाग नहीं लेते है । उन्हें इस स्तर से भी निदेशित किया गया है कि वे जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों में भाग लें । यदि संबंधित जिलों में एजेंसी के समन्वयक इन बैठकों में भाग नहीं लेते है तो उन पर कार्रवाई की जाय तथा विभाग को भी सूचित किया जाय ।

3. कुछ जिलों से पत्र प्राप्त हुए है, जहॉ प्रखंडों का आवंटन जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त द्वारा किया गया है । इस संबंध में सूचित करना है कि NSR के तहत कार्य कर रही एजेंसियों को प्रखंडों का आवंटन UIDAI, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमोदन विभाग स्तर से होता है । SR द्वारा एजेंसियों को जिलों का आवंटन किया गया है ।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रखंडों के आवंटन को लेकर एजेंसियों के मध्य संघर्ष/ ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त हो रही है । अतएवं यदि अत्यंत आवश्यक हो तभी प्रखंडों के आवंटन को बदला जाय,

अन्यथा की स्थिति में विभाग को अथवा UIDAI को इस संबंध में अनुरोध पत्र भेजा जा सकता है। अनुलग्नक यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 15/4/15

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक:- 228407 पटना, दिनांक :- 16/4/15

प्रतिलिपि :- राज्य पंजीयक के सभी एजेन्सियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/4/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 228407 पटना, दिनांक :- 16/4/15

प्रतिलिपि :- राजेश कुमार सिंह सहायक महानिदेशक / श्री रविन्द्र मेहता, राज्य संसाधन पदाधिकारी (UIDAI) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/4/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 228407 पटना, दिनांक :- 16/4/15

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/4/15

सरकार के सचिव

158

भारत सरकार

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

पत्रांक: UIDAI/CO/PAT/SR/2015-16- 4 दिनांक:- 08.04.2015

प्रेषक ,

राजेश कुमार सिंह

सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पटना, बिहार

सेवा में ,

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग ,बिहार

विषय :- आधारकार्ड पंजीकरण के संबंध में

महाशय ,

कृपया आपके पत्रांक - ग्रा०वि०-5/आधार(AKR)-14-09-2015 दिनांक 04-03-2015, का सन्दर्भ लें, जिसमें ये कहा गया है कि जिलों में NSR एवं SR के अंतर्गत एजेंसियां समान रूप से CAMP/SWEEP/PEC MODE में कार्य कर रहे हैं | और विभिन्न जिलों में NSR की एजेंसियों को UIDAI के तरफ से प्रखंडों का आवंटन एवं SR की एजेंसियों को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा समान रूप से जिलों का आवंटन किया गया है |

विभिन्न जिलों में कार्य कर रही एजेंसियों से ये ज्ञात हुआ है, कि जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व से ही आवंटित प्रखंडों का फिर से आवंटन किया जा रहा है | जिसकी वजह से UIDAI एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों को आवंटित जिलों एवं प्रखंडो में भिन्नता आ गई है| परिणामस्वरुप एजेंसियों को आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने में दिक्कत आ रही है | ऐसा करने से आधार पंजीकरण की गति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और औसत निबंधन दर प्रति मशीन कम हो गई है |

आपको विदित हो कि, UIDAI/SR द्वारा प्रखंड या जिला स्तर पर आवंटन, उनकी भौगोलिक स्थिति, एजेंसियों के कार्य प्रदर्शन, मानव बल और प्रतिबद्धता समेत अन्य कारको को ध्यान में रखते हुए

157

भारत सरकार

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

किया जाता है | यद्यपि जिला पदाधिकारी पंचायत स्तर पर SR/NSR एजेंसियों को आवंटन अपने स्तर से समीक्षा उपरांत कर सकते हैं |

अतः जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि UIDAI/SR द्वारा आवंटित प्रखंडों को बिना किसी जरुरी और वांछित कारण के न बदला जाए और न ही पुनः आवंटन किया जाए | अगर कुछ परिवर्तन वांछित है, तो सम्बंधित निवेदन-पत्र ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा UIDAI को अग्रसारित कर सकते है |

संलग्नक :

विश्वासभाजन,

08/4/2015

(राजेश कुमार सिंह)

सहायक महानिदेशक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पटना

Camp Office * UIDAI * GOI * Patna *